BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट के 03 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास व 1700-1700 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- युसुफ, 2- युनुस पुत्रगण शरीफ, 3- इरफान पुत्र युसुफ निवासीगण कस्बा व थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में दो व्यक्तियों के साथ मारपीट कर लाठी डंडो से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 06.08.2016 को थाना खानपुर पर मुअसं-115/16 धारा-323,324,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 24.09.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्रप्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-12, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने परअभियुक्त युसुफ, युनुस, इरफान को 04-04 वर्ष का कारावास व 1700-1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव कुमार मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर